

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

-:: कार्यालय आदेश:-

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान-2008) के नियम 19 एवं पुनरीक्षित वेतनमान नियम, 2017 के नियम 14 व 15 के अनुसार प्रधानाचार्य/प्र0अ0 (मा0वि0) के राज्य सेवा में 10/20/30 वर्ष निरन्तर सेवा पूर्ण करने पर आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) निम्नानुसार स्वीकृत की जाती है:-

क्र. सं.	नाम अधिकारी पद व पदस्थापन स्थान श्री/श्रीमती/सुश्री	जन्मतिथि	प्रथम नियुक्ति पर कार्यग्रहण तिथि	10/20/30 वर्ष पूर्ण करने की तिथि	प्रथम/द्वितीय/तृतीय एसीपी देय तिथि	एसीपी दिये जाने पर देय ग्रेड-पे/पे मैट्रिक लेवल
1	2	3	4	5	6	7
01	श्री अभयकुमार जैन प्रधानाचार्य, राउमावि, बल्लभगग्राम (अलवर)	01.04.62	01.07.87 व00अ0	30.06.17 30 वर्ष	01.07.17 तृतीय	15600-39100 6800/-
02	श्री द्वारका प्रसाद गुप्ता से.नि. प्रधानाचार्य, राउमावि, माधोगढ़-उमरैण (अलवर)	15.06.58	01.07.87 व0अ0	30.06.17 30 वर्ष.	01.07.17 तृतीय	15600-39100 6800/-
03	श्री हरिसिंह गोठवाल सहायक परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान, जैसलमेर	10.10.63	17.08.94 व्याख्याता	16.08.14 20 वर्ष	17.08.14 द्वितीय	15600-39100 6800/-
04	श्री प्रदीपसिंह राजपूत, प्रधानाचार्य, बाईसावाला राउमावि, प्रतापगढ़-थानागाजी(अलवर)	11.11.63	01.07.87 व0अ0	30.06.17 30 वर्ष	01.07.18 तृतीय	पे-मैट्रिक लेवल-17
05	श्री चन्द्रकिशोर राय, प्रधानाचार्य, राउमावि, नाडसर (जोधपुर)	20.09.59	31.12.85 वअ0	30.12.15 30 वर्ष	31.12.15 तृतीय	15600-39100 6800/-
06	श्री हरीश भाटी, प्रधानाचार्य, राउमावि, कवास (बाड़मेर)	05.09.59	01.07.86 व0अ0	30.06.16 30 वर्ष	01.07.16 तृतीय	15600-39100 6800/-
07	श्री आवड़दान रतनू से.नि. प्रधानाचार्य, राउमावि, सिणगारी-रोहट (पाली)	06.04.59	22.08.95 एसडीआई	21.08.15 20 वर्ष	22.08.16 द्वितीय	15600-39100 6800/-

नोट:- क्रम संख्या-4 व 7 पर अंकित कार्मिको को दण्डादेश के कारण एक वर्ष विलम्ब से स्वीकृत किया गया ।

उक्त प्रधानाचार्य को प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति पर 26 (ए) का लाभ नहीं दिये जाने पर ही एसीपी का लाभ देय होगा । एसीपी स्वीकृत किये जाने पर तीन प्रतिशत वेतन वृद्धि वर्तमान मूल वेतन पर देय होगी तथा ग्रेड-पे का अंतर दिया जायेगा । वेतन निर्धारण नियंत्रण अधिकारी द्वारा किया जायेगा ।



(नथमल डिडेल)


आईएस

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर ।

(2)

क्रमांक:शिविरा-मा/संस्था/ए-3-4/एसीपी/जय-जोध-पांली/2019/61-62 दिनांक: 17/7/19
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक
- 2- मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पं० स०
- 3- संबंधित संस्था प्रधान/ संबंधित अधिकारी।
- 4- सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग।
- 5-रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक(कार्मिक),
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर।